[2018] 10 एस.सी.आर. 375

खातून एवं अन्य

बनाम

उत्तरप्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख

सचिव एवं अन्य

(सिविल अपील कमांक 2127/2018)

15 फरवरी, 2018

[आर.के. अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्तिगण]

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894–धारा 4, 6 और 17–राज्य ने कई गाँवों में स्थित सैकड़ों हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया–पीड़ित, कुछ भूमि स्वामी ने रिट याचिकाएँ दायर कीं–रिट याचिका शीर्षक 'गजराज एवं अन्य बनाम उत्तरप्रदेश राज्य एवं अन्य' में उच्च न्यायालय द्वारा पारित अग्रणी निर्णय– उच्च न्यायालय ने यद्यपि अधिग्रहण को बरकरार रखा, लेकिन राज्य को निर्देशित किया कि रिट याचिकाकर्ताओं को उनकी अधिग्रहित भूमि के लिए 64.70% की दर से बढ़े हुए अस्थायी अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान करे और प्रत्येक रिट याचिकाकर्ता को उनकी अधिग्रहित भूमि के 10 प्रतिशत की सीमा तक का एक विकसित आबादी भूखंड आवंटित करे–यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सावित्री देवी बनाम उत्तरप्रदेश राज्य एवं अन्य में बरकरार रखा गया था–कुछ अन्य भूमि स्वामियों –अपीलकर्ताओं द्वारा नई रिट याचिकाएं दायर की गई, जिनकी भूमि भी इन अधिग्रहण कार्यवाहियों में अधिग्रहित की गई थी–उन्होंने अनुरोध किया कि वह समान अनुतोष का दावा करने के हकदार थे, जो उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाकर्ताओं को प्रदान किये गये–राज्य द्वारा बिना किसी विवाद के पहले ही रिट याचिकाकर्ताओं को 64.70% की दर से अतिरिक्त मुआवजा लागू करते हुए अपीलकर्ताओं सहित सभी भूमि स्वामी को मुआवजे का भुगतान किया गया था–इसलिए, एकमात्र शेष प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्तागण उनकी अधिग्रहित भूमि के 10 प्रतिशत की सीमा तक का विकसित आबादी भूखंड के आवंटन के अनुतोष का दावा करने के भी हकदद्वार हैं–उच्च न्यायालय द्वारा अनुतोष से इंकार किया गया – अपील प्रस्तुत होने पर अभिनिर्धारित–अपीलकर्ता विकसित आबादी भूखंड के आवंटन के अनुतोष का लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं–उच्च न्यायालय ने पूर्ववती रिट याचिकाओं में, स्पष्टतः, विकसित आबादी भूखंड के आवंटन के अनुतोष का लाभ केवल उन भूमि स्वामियों को प्रदान किया, जिन्होंने रिट याचिकाएं दायर की थीं–इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने प्राधिकरण को निर्देश दिया था कि वह स्वयं विनिश्चित करे कि समान अनुतोष समान स्थिति के अन्य भूमि स्वामी–अपीलकर्तागण को विस्तारित करने के इच्छुक है अथवा नहीं–प्राधिकरण ने अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान के संबंध में लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया, किंतु ऐसे भूमि स्वामी–अपीलकर्ताओं को विकसित आबादी भूखंड के आवंटन के अनुतोष का लाभ प्रदान करने से इंकार कर दिया–इसके अलावा, प्राधिकरण ने उन पूर्ववती भूमि स्वामी–रिट याचिकाकर्ताओं को भी अतिरिक्त आबादी भूखंड के आवंटन के संबंध में लाभ प्रदान नहीं किया, जिनके पक्ष में मूल निर्देश उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए थे और जब भूमि स्वामियों ने अवमानना याचिका दायर की थी तब उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था–इसलिए, भूमि स्वामी–अपीलकर्ताओं को न तो कोई विधिक अधिकार है और न ही अतिरिक्त विकसित आबादी भूखंड के आवंटन के अनुतोष का दावा करने के लिए कोई तथ्यात्मक आधार है।

अपीलों को खारिज करते हुए न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1. यह विवादित नहीं है कि उच्च न्यायालय द्वारा गजराज और अन्य बनाम उत्तरप्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में दिए गए दो निर्देशों में से एक निर्देश, अर्थात्, प्रत्येक भूमि स्वामी को 64.70% की दर से अतिरिक्त मुजावजा का अवार्ड राज्य/प्राधिकरण द्वारा पूर्व से ही लागू कर दिया गया एवं उनकी रिट याचिकाएं खारिज होने की दशा में भी तदनुसार अपीलकर्तागण को भुगतान भी किया गया। अन्य शब्दों में, अपीलकर्ता को गजराज के मामले में पारित आदेश का बिना किसी विवाद आंशिक लाभ मिला। [पैरा 36] [386– जी]

2. इसलिए, इन अपीलों में विचार के लिए अब केवल एक ही प्रश्न शेष है कि क्या अपीलकर्तागण उच्च न्यायालय द्वारा गजराज के मामले में जारी किए गए दूसरे निर्देश का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, अर्थात् अपीलकर्तागण को विकसित अबादी भूखंड का आवंटन। [पैरा 37] [386–एच; 387–ए]

3. अपीलकर्तागण निम्नलिखित कारणों से उपरोक्त वर्णित दूसरे निर्देश का लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। पहला, उच्च न्यायालय ने गजराज के मामले में, स्पष्टतः, विकसित आबादी भूखंड के आवंटन का अनुतोष केवल उन भूमि स्वामियों तक सीमित रखा, जिन्होंने रिट याचिकाएं दायर की थीं। अन्य शब्दों में, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्देश जारी करते समय स्पष्ट किया था कि इस अनुतोष का प्रदान किया जाना केवल रिट याचिकाकर्ताओं तक ही सीमित है। [पैरा 38,39] [387–बी–सी]

4. दूसरा, जहाँ तक दूसरी श्रेणी के भूमि स्वामियों से संबंधित मामले हैं, जिन्होंने अधिग्रहण की कार्यवाहियों को चुनौती नहीं दिया (जैसे कि वर्तमान अपीलकर्ता), उच्च न्यायालय ने उनके मामलों को अलग से निपटाया और तदनुसार निर्देश जारी किये जो शर्त संख्या 4 (ए) और (बी) में निहित हैं। [पैरा 40] [387–सी–डी]

5. शर्त संख्या 4 (ए) और (बी) में, उच्च न्यायालय ने प्राधिकरण को स्पष्टतः इस प्रश्न पर निर्णय लेने का निर्देश दिया कि क्या प्राधिकरण शर्त संख्या 3(ए) और (बी) में निहित निर्देशों का लाभ दूसरी श्रेणी के भूमि स्वामियों को भी प्रदान करने के लिए सहमत है अथवा नहीं [पैरा 41] [387–डी–ई]

6. अन्य शब्दों में, उच्च न्यायालय ने स्पष्टतः उन भूमि स्वामियों को कोई भी अनुतोष प्रदान करने से इंकार कर दिया, जिन्होंने रिट याचिकाएं दायर नहीं की थीं और इसकी जगह प्राधिकरण को यह विनिश्चय करने का निर्देश दिया कि क्या वे समान स्थिति के अन्य भूमि स्वामियों को वही अनुतोष प्रदान करने के इच्छुक हैं अथवा नहीं। [पैरा 42] [387–ई–एफ]

7. अतः यह स्पष्ट है कि यह प्राधिकरण के विवेक पर छोड़ दिया गया था कि वह इस प्रश्न का विनिश्चय करे कि क्या वह दूसरी श्रेणी के भूमि स्वामियों तक उपर्युक्त लाभों को विस्तारित करने के इच्छुक है अथवा नहीं। [पैरा 43] [387–एफ–जी]

8. तीसरा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्राधिकरण ने निर्देशों के अनुपालन में 64.70% की दर से अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान के संबंध में लाभ प्रदान करने का विनिश्चय किया और तदनुसार इसका भुगतान भी किया गया। दूसरी ओर, प्राधिकरण ने ऐसे भूमि स्वामियों को विकसित आबादी भूखंड के आवंटन के संबंध में लाभ प्रदान करने से इंकार कर दिया। [पैरा 44] [387– जी]

9. चौथा, अभिलेख का विषय होने से यह विवादित नहीं है, कि जब प्राधिकरण अतिरिक्त आबादी भूखण्ड के आवंटन के संबंध में लाभ उन भूमि स्वामियों को भी प्रदान करने में विफल हो गया, जिनके पक्ष में उच्च न्यायालय द्वारा गजराज के मामले में और इस न्यायालय द्वारा सावित्री देवी के मामले में निर्देश जारी किए गए थे,

भूमि स्वामियों ने प्राधिकरण के विरूद्ध इस न्यायालय के निर्देशों का पालन न करने की शिकायत करते हुए अवमानना याचिका दायर की, किंतु इस न्यायालय ने अवमानना याचिका को यह निर्धारित करते हुए खारिज कर दिया कि गैर–अनुपालन का कोई मामला नहीं बनता। [पैरा 45] [387–एच; 388–ए–बी]

10. अपीलकर्तागण के पास न तो कोई विधिक अधिकार है और न ही अतिरिक्त विकसित आबादी भूखण्ड के आवंटन के अनुतोष का दावा करने का कोई तथ्यात्मक आधार है। इस तरह के अनुतोष का दावा करने के लिए राज्य के विरूद्ध कोई भी परमादेश प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि रिट याचिकाकर्ता उनके विधिक अधिकार का अभिवचन करते हुए उसे साबित करे, जो राज्य के विरूद्ध निर्विवादित तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। इसके बाद ही रिट याचिकाकर्ताओं के लाभ के लिए राज्य के विरूद्ध परमादेश जारी किया जा सकता है। [पैरा 46] [388–बी–सी]

11. वास्तव में, जब वे भूमि स्वामी, जिनके पक्ष में उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे भूखंड के आवंटन के लिए आदेश पारित किया गया था, भूखंड प्राप्त नहीं कर सके, तब ऐसी स्थिति में अपीलकर्तागण के लिए यहाँ कोई अवसर उत्पन्न नहीं होता कि वे उनके पक्ष में किसी भी तथ्यात्मक और कानूनी आधार के अभाव में ऐसे अनुतोष का दावा करे। [पैरा 47] [388–डी]

12. अपीलकर्तागण के लिए ऐसे मामलों में अनुच्छेद 14 में रेखांकित सिद्धांत को प्रयोग में लाने का कोई आधार नहीं है। इसका सरल कारण है कि पहला, अनुच्छेद 14 ऐसे मामलों पर लागू नहीं होता ; और दूसरा, उन भूमि स्वामी के मामलों के बीच कोई समानता नहीं है, जिन्होंने रिट याचिकाएं दायर कीं और वर्तमान अपीलकर्तागण, जिन्होंने रिट याचिकाएं दायर नहीं की थीं। यद्यपि उच्च न्यायालय ने गजराज के मामले में दोनों श्रेणी के भूमि स्वामियों के अधिकारों का विनिश्चय किया, किंतु दोनों के मामले अलग–अलग थे। इन कारणों से, अपीलकर्तागण को गजराज के मामले की शर्त संख्या 3 (ए) और (बी) के लाभ लेने का हकदार अभिनिर्धारित नहीं किया गया, जो रिट याचिकाकर्ताओं के लिए थी, लेकिन अपीलकर्तागण के लिए नहीं थी। तथापि, अपीलकर्तागण को उक्त निर्णय की केवल शर्त संख्या 4 (ए) और (बी) का लाभ लेने का अधिकारी होना अभिनिर्धारित किया गया और जिसे उन्होंने 64.70% की दर से देय अतिरिक्त मुआवजे को स्वीकार करके लिया था। [पैरा 50] [388–जी–एच; 389–ए–बी]

मांगे उर्फ मांगे राम बनाम उत्तरप्रदेश राज्य एवं अन्य **डब्ल्यू.पी.सं 7521/2016 इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निराकृत**; गजराज एवं अन्य बनाम उत्तरप्रदेश राज्य एवं अन्य **डब्ल्यू.पी.सं 37443/2011 इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निराकृत;** सावित्री देवी बनाम उत्तरप्रदेश राज्य एवं अन्य **[2015] 7 एससीआर 512: (2015) 7 एससीसी 21 – संदर्भित किया गया।**

संदर्भ निर्णय विधि

[2015] 7 एससीआर 512 संदर्भित किया गया है पैरा 14

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 2127/2018

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सिविल विविध रिट याचिका संख्या 7553/2016 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 01.08.2016 से

के साथ

सि.अ.सं. 2134, 2145, 2139, 2142, 2140, 2141, 2135–36, 2137–38, 2143, 2146, 2144, 2128, 2130, 2129, 2131, 2133, 2132, 2148, 2193, 2192, 2190, 2171, 2170, 2147,

2149, 2152, 2165, 2153, 2150, 2156, 2151,2162, 2163, 2167, 2154, 2161, 2157, 2155, 2164, 2158, 2159, 2160, 2195, 2172, 2173,2177, 2182, 2168, 2175, 2166, 2174, 2176, 2181, 2187, 2183, 2179, 2180, 2178, 2186, 2185, 2191, 2184, 2189, 2188 और 2194 /2018 ।

एस.आर. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, डॉ. राजीव शर्मा, पंकज दुबे, धर्मेंद्र शर्मा, विपिन कुमार शर्मा, रघुवीर शर्मा, हाजी सलीमुद्दीन, राम अनुग्रह सिंह, भंवर लाल सिंह जादोन, प्रशांत शर्मा, हर प्रसाद साहू, शिव कांत मिश्रा, कमलेश कुमार मिश्रा, गौतम कुमार उपाध्याय, सुनील कुमार पांडे, प्रणय कुमार महापात्रा, एफ.आई. चौधरी, ध्रुव पालीवाल, मंगल प्रसाद, सुश्री श्वेता यादव, सुश्री अनीता त्रिपाठी, यश पाल ढींगरा, सुश्री शशि किरण, मनोज जैन, सतीश चंद्र, सुजीत कुमार झा, अपीलकर्तागण के अधिवक्ता।

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, एएजी, रवींद्र कुमार, संजय कुमार पाठक, अरविंद कुमार त्रिपाठी, अखिलेंद्र सिंह, अंकुर यादव, अनुव्रत शर्मा, सुश्री अलका सिन्हा, रमन यादव, सैयद मेहदी इमाम, अक्षय राणा, सुश्री वर्णिता रस्तोगी, पवनश्री अग्रवाल, रचित मित्तल, सुश्री तन्वी अग्रवाल, डॉ. कैलाश चंद, अभिषेक बैद, अनूप जैन, प्रणीत दास, तन्मया अग्रवाल, प्रत्यर्थी अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय **अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति** द्वारा पारित किया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपीलें इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सी.एम.डब्लू.पी.सं. 7553/2016 आदि एवं भिन्न दिनांकों पर प्रस्तुत अन्य समान रिट याचिकाओं में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 01.08.2016 के विरूद्ध दायर की गई हैं, जिनके द्वारा उच्च न्यायालय की समान दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा मामलों के समूह में वर्तमान अपीलकर्तागण द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज किया गया, जिसमें प्रमुख मामला **(डब्ल्यू.पी.सं. 7521/2016 शीर्षक मांगे उर्फ मांगे राम बनाम उत्तरप्रदेश राज्य एवं अन्य)** है।

3. अपीलों के इस समूह में अंतर्वलित विवाद्यकों की विवेचना करने के लिए तथ्यों को व्यक्त करना आवश्यक है, जिसके कारण ये अपीलें दायर की गईं।

4. धारा 4 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य ने वर्ष 1976 से 2010 तक समय-समय पर उत्तर प्रदेश राज्य के नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई गांवों में स्थित सैकड़ों हेक्टेयर भूमि के एक बड़े हिस्से का अधिग्रहण करने के लिए कई अधिसूचनाएं जारी किया। यह अधिग्रहण लोक प्रयोजन अर्थात् "नियोजित औद्योगिक विकास" के लिए किया गया। यह अधिग्रहण ग्रेटर नोएडा औद्योगिक प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित किया गया) के लाभ के लिए था, जिसे इसका निष्पादन करना था।

5. अधिनियम की धारा 4 के तहत समय-समय पर जारी की गई उपरोक्त अधिसूचनाओं के बाद अधिनियम की धारा 6 के तहत कई घोषणाओं का प्रकाशन किया गया। सरकार/प्राधिकरण ने तब अधिनियम

की धारा 17 में निहित तात्कालिक प्रावधानों को लागू करके अधिग्रहित भूमि का कब्जा लिया। राज्य/प्राधिकरण ने तब कुछ गाँवों में अधिग्रहित भूमि का विकास किया।

6. चूंकि भूमि का एक बड़ा हिस्सा अधिग्रहित किया गया था, जो कई भूमि स्वामियों की थी, जिनकी संख्या लगभग सौ थी, कुछ भूमि स्वामियों ने व्यथित महसूस किया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर कीं और अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत जारी अधिसूचनाएँ, जिनके द्वारा उनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था, की वैधानिकता और वैधता को चुनौती दी गई। ये रिट याचिकाएं भूमि स्वामियों द्वारा (व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से समूह में) 1976 से 2010 तक दायर की गई थीं।

7. विवादित अधिसूचनाओं को चुनौती इस आधार पर दी गई थी कि पहला, अधिनियम की धारा 17 के तहत तात्कालिकता का कोई मामला अस्तित्व में नहीं था। दूसरा, धारा 5–ए के तहत जांच का त्याग देना अवैध था क्योंकि इस तरह की अभिमुक्ति से भूमि स्वामी अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती देने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एलएओ) के समक्ष आपत्तियां दर्ज करने से वंचित हो गए। तीसरा, अधिग्रहण कार्यवाहियां राज्य द्वारा शक्तियों के आभासी प्रयोग के साथ शुरू की गई थी; और अंततः संपूर्ण अधिग्रहण कार्यवाहियां असद्भावपूर्वक एवं मनमानीपूर्वक की गई एवं इसी कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

8. राज्य द्वारा रिट याचिकाकर्ताओं के मामले से इंकार किया गया। अधिग्रहण कार्यवाहियों का बचाव करते हुए राज्य द्वारा दृढ़तापूर्वक तर्क किया गया कि अधिनियम के प्रावधानों का कठोरतापूर्वक पालन करते हुए अधिग्रहण किया गया, जो स्थिर रखे जाने योग्य है।

9. रिट याचिकाओं में शामिल विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और दूसरा, क्योंकि अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देने के लिए बड़ी संख्या में रिट याचिकाएं दायर की गई थीं, सभी रिट याचिकाओं (कुल 471) को उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा उनकी समान सुनवाई किए जाने के लिए एक साथ जोड़ा गया था। सभी रिट याचिकाओं को पूर्ण पीठ को भेजने का एक कारण यह था कि जिन दो खंड पीठों के समक्ष समूह में से कुछ रिट याचिकाएं सुनवाई के लिए आई थीं, उन्होंने रिट याचिकाओं में शामिल विवाद्यकों पर अलग–अलग विचार रखे। इसलिए, पूर्ण पीठ का गठन करके रिट याचिकाओं में उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों को हल करना उचित माना गया। इस प्रकार सभी लंबित रिट याचिकाओं को पूर्ण पीठ के समक्ष समान सुनवाई हेतु नियत किया गया।

10. पूर्ण पीठ ने तब "ग्राम वार'' रिट याचिकाओं को कई समूह में विभाजित किया एवं तद्नुसार एक ही निर्णय दिनांक 21.10.2011 द्वारा उनका निपटान किया गया। पूर्ण पीठ का प्रमुख निर्णय रिट याचिका (डब्ल्यू. पी. No.37443/2011) शीर्षक **गजराज और अन्य बनाम उत्तरप्रदेश राज्य और अन्य** था।

11. रिट याचिकाओं के एक समूह को देरी और विलंब के आधार पर खारिज कर दिया गया था। रिट याचिकाओं के अन्य मुख्य समूह का निपटारा निर्देशों के साथ किया गया, जिनमें उच्च न्यायालय ने हालांकि अधिग्रहण को बरकरार रखा, लेकिन राज्य को निर्देश दिया कि वह रिट याचिकाकर्ताओं को उनकी अधिग्रहित भूमि के लिए 64.70% की दर से बढ़े हुए अस्थायी अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान करे और प्रत्येक रिट याचिकाकर्ता को उनकी अधिग्रहित भूमि के 10 प्रतिशत की सीमा तक एक विकसित आबादी भूखंड आवंटित करे, बशर्ते कि अधिकतम 2500 वर्ग मीटर हो।

12. ये दोनों निर्देश उन मामलों तक ही सीमित थे जहां एक तथ्य के रूप में यह पाया गया कि अधिग्रहित भूमि पर राज्य द्वारा कुछ विकास किया गया था। अन्य शब्दों में, इन दोनों निर्देशों का लाभ उन रिट याचिकाकर्ताओं (भूमि स्वामियों) को दिया गया था जिनकी भूमि पर कुछ विकास हुआ था।

13. यद्यपि, जहाँ तक तीन गाँवों में स्थित भूमि अधिग्रहण का संबंध था, जहाँ यह पाया गया कि कब्जा लेने के बावजूद, कोई विकास नहीं हुआ था, उच्च न्यायालय ने ऐसी भूमि के संबंध में अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया और राज्य को संबंधित भूमि स्वामियों को भूमि का कब्जा बहाल करने का निर्देश दिया। इन अपीलों के निपटारे के लिए निर्णय का प्रवर्तनशील भाग जहां तक प्रासंगिक है, निम्नानुसार हैः

> **"3. उपरोक्त 1 एवं 2 में वर्णित के सिवाय, सभी अन्य रिट याचिकाओं का निपटान निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया जाता हैः**
>
> **(क) याचिकाकर्ता 1997 के नियमों के तहत उनके द्वारा प्राप्त मुआवजा के अतिरिक्त समान अनुपात (यानी 64.70%) की सीमा तक अतिरिक्त मुआवजा भुगतान के हकदार होंगे, जो गाँव के पटवारियों को भुगतान किया गया। प्राधिकरण द्वारा भुगतान (9) जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाएगा। प्राधिकरण के लिए यह निर्णय लेने की छूट हो सकती है कि आवंटियों द्वारा अतिरिक्त मुआवजे के किस अनुपात का भुगतान करने के लिए कहा जाए। वे याचिकाकर्ता जिन्हें अभी तक मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है उन्हें मुआवजे के साथ–साथ अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान किया जा सकेगा जैसा कि ऊपर आदेश दिया गया है। अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान अधिनियम की धारा 18 के अधीन भूमि स्वामी के अधिकारों, यदि कोई हो, पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाएगा।**
>
> **(ख) सभी याचिकाकर्ता अधिकतम 2500 वर्गमीटर के अधीन, उनकी अधिग्रहित भूमि के 10 प्रतिशत की सीमा तक एक विकसित आबादी भूखंड आवंटन के हकदार होंगे। हम यद्यपि इसे उन मामलों में प्राधिकरण के लिए खुला छोड़ते हैं जहाँ शेष क्षेत्र का आवंटन करने के लिए आबादी भूमि का 6 प्रतिशत या 8 प्रतिशत की सीमा तक आवंटन किया जा चुका है या भूमि स्वामियों को शेष क्षेत्र के जो विकसित आवासीय भूखंडों के आबंटन की औसत दर के अनुसार होगा।**
>
> **4. प्राधिकरण यह भी निर्णय ले सकता है कि क्या अतिरिक्त मुआवजे और आबादी के आवंटन का लाभ 10 प्रतिशत की सीमा तक भी निम्नलिखित को दिया जाएः**
>
> **(क) वे भूमिधारक जिन की पूर्व में अधिसूचनाओं को चुनौती देने संबंधी रिट याचिका, अधिसूचना को स्थिर रखते हुए, खारिज कर दी गई, और**

(ख) वे भूमिधारक जो अधिसूचनाओं के संबंध में न्यायालय में नहीं आए हैं, जो निर्देश 3 में उल्लिखित रिट याचिकाओं में चुनौती का विषय है।

14. कुछ भूमि स्वामियों ने उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले से व्यथित महसूस किया और अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्राप्त कर बाद में इस अदालत में अपील में मामले को आगे बढ़ाया। यह न्यायालय (तीन न्यायाधीशों की पीठ) ने दिनांक 14.05.2015 को भूमिस्वामियों द्वारा दायर सभी अपीलों को खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा। इस न्यायालय का प्रमुख निर्णय **सावित्री देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य**, (2015) 7 एससीसी 21 के मामले में दिया गया था। निर्णय का प्रवर्तनीय भाग इस प्रकार है:

"48. संक्षेप में, भूमि स्वामियों को निम्नलिखित लाभ दिए जाते है:

48.1 मुआवजे को 64.7% तक बढ़ाना;

48.2. प्रत्येक भूमि स्वामी की अधिग्रहीत भूमि के 10 प्रतिशत की सीमा तक विकसित आबादी भूखंड के आवंटन का निर्देश देना;

48.3. 64.7% की दर से बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति का भुगतान, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधीन अधिक क्षतिपूर्ति राशि के दावा करने के भूमिस्वामियों के अधिकार को वापस लिए बिना, तत्काल किया जावेगा, जहां मामले का परीक्षण न्याय संगत और उचित बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए प्रस्तुत की गई साक्ष्य के आधार पर होगा।

49. यह, हमारे अनुसार, अपीलकर्तागण को सारवान् न्याय प्रदान करता है।

निष्कर्ष

50. इन सभी विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह राय है कि ये ऐसे मामले नहीं हैं जहाँ यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन हस्तक्षेप करे। यद्यपि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्देश विशिष्टि पृष्ठभूमि में दिए गए है एवं इसलिए, यह भविष्य के मामलों में पूर्व निर्णय नहीं होगा।

51. .....

52. उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय की, तदनुसार, पुष्टि की जाती है और इन सभी अपीलो का निपटारा पूर्ण पीठ के उक्त निर्णय के संदर्भ में किया जाता है।"

15. वर्तमान अपीलकर्तागण, जिनकी भूमि भी इन अधिग्रहण कार्यवाहियों में अधिग्रहित की गई थी, तब निद्रा से जागे और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रथम बार दिनांक 15.02.2016 को रिट याचिकाएं दायर की गई, जिससे यह अपीले उत्पन्न हुई।

16. रिट याचिकाओं में, अपीलकर्ताओं ने प्रार्थना की कि वे उन भूमिस्वामियों, जिन्होंने रिट याचिका दायर की और अधिग्रहण कार्यवाहियों को चुनौती दी के समान स्थित होने से समान अनुतोष के दावे के भी अधिकारी हैं, जो पूर्णपीठ द्वारा रिट याचिकाकर्ताओं को **गजराज** (उपरोक्त) के मामले में प्रदान किए गए एवं **सावित्री देवी** (उपरोक्त) में पुष्टि की गई।

17. अन्य शब्दों में, अपीलकर्तागण (रिट याचिकाकर्तागण) का उच्च न्यायालय के समक्ष मामला यह था कि पूर्णपीठ द्वारा भूमिस्वामियों को **गजराज** (उपरोक्त) के मामले में प्रदान किए गए एवं **सावित्री देवी** (उपरोक्त) में पुष्ट किए गए अनुतोष अपीलकर्तागण को भी प्रदान किए जाएं क्योंकि उनकी भूमि भी समान अधिग्रहण कार्यवाहियों में अधिग्रहीत की गई, जिसमें **गजराज** के प्रकरण (उपरोक्त) के रिट याचिकाकर्ताओं की भूमि

अधिगृहीत की गई थी। वास्तव में अनुतोष की प्रार्थना दो भूमिस्वामियों द्वारा राज्य के विरूद्ध समानता के सिद्धांत के आधार पर की गई।

18. यद्यपि, यह उल्लेख करना उचित है कि जहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा 64.70% की दर पर देय अतिरिक्त मुआवजा भुगतान के निर्देश का संबंध था, इसे राज्य द्वारा पहले से ही बिना किसी प्रतिस्पर्धा के अपीलार्थियों सहित सभी भूमिस्वामियों को लागू करते हुए मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है।

19. मामले के इस दृष्टिकोण में, अपीलकर्तागण की रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय के समक्ष एक मात्र प्रश्न निर्णय के लिए, शेष था कि क्या अपीलकर्तागण भी **गजराज** (उपरोक्त) एवं **सावित्री देवी** (उपरोक्त) के मामले में पारित निर्णय अनुसार अधिकतम 2500 वर्गमीटर के अधीन, उनकी अधिग्रहित भूमि के 10 प्रतिशत की सीमा तक विकसित आबादी भूखंड के आवंटन के अनुतोष के दावे के अधिकारी है।

20. यह अनुतोष उच्च न्यायालय द्वारा विवादित फैसले में अपीलकर्तागण को देने से इंकार किया गया, जिससे इस न्यायालय के समक्ष अपील की अनुमति प्राप्त कर असफल रिट याचिकाकर्तागण (भूमिस्वामियों) द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत करने का अवसर उत्पन्न हुआ।

21. इसलिए, संक्षिप्त प्रश्न, जो अपीलों के इस समूह में विचार के लिए उत्पन्न होता है, यह है कि क्या अपीलकर्तागण (भूमि स्वामी) हैं वे **गजराज** (उपरोक्त) के मामले में उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा पारित दिनांक 1 के फैसले के लाभ का दावा करने के हकदार हैं, जिसे इस न्यायालय ने **सावित्री देवी** (उपरोक्त) के मामले में बरकरार रखा था, जहां तक कि यह अधिकतम 2500 वर्ग मीटर तक अतिरिक्त अवादी भूखंड के आवंटन से संबंधित है।

22. अन्य शब्दों में, प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्तागण **गजराज** (उपरोक्त)के मामले में पारित निर्णय दिनांक 21.10.20211 की शर्तों एवं **सावित्री देवी** (उपरोक्त) के अनुपालन में उनकी अधिग्रहित भूमि के बदले में अतिरिक्त आबादी भूखण्ड का दावा करने के हकदार है।

23. अपीलकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि जब राज्य के खिलाफ उच्च न्यायालय (पूर्णपीठ) द्वारा **गजराज** (उपरोक्त) के मामले में एक अधिग्रहण कार्यवाही के संबंध में कुछ भूमि स्वामियों के लाभ के लिए आदेश पारित किया गया था, तब ऐसी परिस्थितियों में, इस तथ्य के बावजूद कि क्या ऐसे भूमि स्वामियों ने उच्च न्यायालय में अधिग्रहण कार्यवाही को अन्य के साथ चुनौती दी अथवा नहीं, उक्त आदेश का लाभ ऐसे सभी भूमि स्वामियों को भी प्रदान किया जायेगा, जिनकी भूमि समान अधिग्रहण कार्यवाहियों में अधिग्रहित की गई।

24. अन्य शब्दों में, निवेदन यह था कि एक बार अधिग्रहण की कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद, चाहे वह एक भूमि स्वामी या दो भूमि स्वामी के कहने पर उसके / उनके लाभ के लिए हो, सभी भूमि स्वामी जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई है, वे उसी लाभ का दावा करने के हकदार हो जाते हैं जो भूमि स्वामी को दिए गए थे, जिन्होंने रिट याचिकाएं दायर की थी।

25. विद्वान अधिवक्ता ने तब आग्रह किया कि किसी भी मामले में, प्राधिकरण द्वारा इस तथ्य की परवाह किये बिना कि क्या ऐसा भूमि स्वामी मूल कार्यवाही में एक पक्ष था या नहीं, उनकी बैठक में उच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में सभी भूमि स्वामियों को अतिरिक्त भूमि/भूखण्ड आवंटन करने का संकल्प लिये जाने के बाद, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्तागण को अनुतोष नहीं देने में त्रुटि कारित किया। यह तर्क दिया गया कि इस तरह के प्रस्ताव के आलोक में, इस बात का कोई कारण नहीं है कि अपीलकर्तागण, जो समान रूप से स्थित भूमि स्वामी

है, को **गजराज** (उपरोक्त) के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के लाभ से वंचित किया जाये, जहाँ तक उसने राज्य को प्रत्येक भूमि स्वामी को विकसित आबादी भूखण्ड आवंटित करने का निर्देश दिया था।

26. यह अनिवार्य रूप से वे निवेदन है, जिन्हें अपीलकर्तागण (भूमि स्वामियों) की ओर से सभी विद्वान अधिवक्ता उनकी अपील के समर्थन में अपनाते हुए विस्तार दिया गया।

27. जवाब में, प्रत्यर्थी (राज्य और प्राधिकरण) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा विवादित निर्णय सहित उसमें दिये गये तर्क एवं निष्कर्ष का समर्थन करते हुए तर्क किया गया कि इन अपीलों में कोई मामला नहीं बनता जो विवादित निर्णय में हस्तक्षेप करने का आह्वान करें।

28. विद्वान अधिवक्ता ने उसके तर्क को विस्तार देते हुए बताया कि प्रथम, उच्च न्यायालय द्वारा **गजराज** (उपरोक्त) के मामले में दिये गये निर्णय एवं इस न्यायालय द्वारा **सावित्री देवी** (उपरोक्त) में दिया गया निर्णय केवल उन भूमि स्वामियों तक ही सीमित है, जिन्होंने उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की थी एवं इस न्यायालय में सिविल अपील की थी, जो निर्णय से ही स्पष्ट है।

29. दूसरे स्थान पर, विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि उच्च न्यायालय ने राज्य और प्राधिकरण को यह विनिश्चय करने का निर्देश दिया था कि क्या वे 64.70% की दर से अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान करने के लिए तैयार है और उन भूमि स्वामियों को विकसित आबादी भूमि से भूखण्ड आवंटित करने के लिए तैयार है, जिन्होंने अधिग्रहण कार्यवाहियों को चुनौती नहीं दी थी।

30. यह बताया गया कि **गजराज** के मामले (उपरोक्त) में उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, प्रत्यर्थियों (राज्य और प्राधिकरण) ने ऐसे सभी भूमि स्वामियों को 64.70% की दर से अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान करने का संकल्प लिया, लेकिन ऐसे भूमि स्वामी जिनके पक्ष में आवंटन आदेश पारित किया गया, को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक भूमि स्वामी को भूखंड आवंटित करने में इस आधार पर असमर्थता व्यक्त किया, कि प्राधिकरण के पास अतिरिक्त भूमि की उपलब्धता का अभाव है।

31. तीसरे स्थान पर, विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि प्रत्यर्थियों ने तदनुसार अपीलकर्ताओं (भूमि स्वामियों) सहित प्रत्येक भूमि स्वामी को 64.70% की दर से अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान किया ।

32. चौथे स्थान पर यह बताया गया कि अनेक भूमि स्वामी, जिनके पक्ष में उच्च न्यायालय द्वारा अतिरिक्त भूखण्ड आवंटन के निर्देश जारी किये गये थे, उन्हें भूखण्ड प्राप्त नहीं हुए एवं इसलिए, उन्होंने अवमानना याचिका दायर की, जो इस न्यायालय द्वारा यह निर्धारित करते हुए खारिज की गई कि राज्य/प्राधिकरण के खिलाफ अवमानना का कोई मामला नहीं बनता। अन्य शब्दों में, इस न्यायालय ने प्राधिकरण के इस मत को स्वीकार किया कि उनके पास अतिरिक्त भूमि की अनुपलब्धता है।

33. और अंत में, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलकर्तागण के पक्ष में किसी भी तथ्यात्मक आधार और विधिक अधिकार के अभाव में, वे रिट याचिकाओं में मांगा गया अनुतोष का दावा करने के हकदार नहीं है, जिसे उच्च न्यायालय ने सही ढंग से अस्वीकार कर दिया था।

34. ये वे निवेदन हैं, जिन्हें प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत किया गया था।

35. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और मामले के अभिलेख का परिशीलन करने के बाद, हम अपीलकर्तागण (भूमि स्वामियों) के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क में कोई गुणागुण नहीं पाते है।

36. जैसा की ऊपर उल्लेख किया गया है, यह विवादित नहीं है कि उच्च न्यायालय द्वारा **गजराज** (उपरोक्त) के मामले में दिए गए दो निर्देशों में से एक निर्देश, अर्थात्, प्रत्येक भूमि स्वामी को 64.70% की दर से

अतिरिक्त मुआवजा का अवार्ड राज्य/प्राधिकरण द्वारा पहले ही लागू कर दिया गया एवं उनकी रिट याचिकाएं खारिज होने की दशा में भी तदनुसार अपीलकर्तागण को भुगतान भी किया गया। अन्य शब्दों में, अपीलकर्ता को **गजराज** के मामले (उपरोक्त) में पारित आदेश का बिना किसी विवाद आंशिक लाभ मिला।

37. इसलिए, इन अपीलों में विचार के लिए अब केवल एक ही प्रश्न शेष है कि क्या अपीलकर्तागण उच्च न्यायालय द्वारा **गजराज** (उपरोक्त) में जारी किए गए दूसरे निर्देश का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, अर्थात् अपीलकर्तागण को विकसित आबादी भूखंड का आवंटन।

38. हमारी सुविचारित राय में, अपीलकर्तागण उपरोक्त दूसरे निर्देश का लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं और हम ऐसा निम्नलिखित कारण से कहते है।

39. पहला, उच्च न्यायालय ने **गजराज** (उपरोक्त) के मामले में, स्पष्टतः, विकसित आबादी भूखंड के आवंटन का अनुतोष केवल उन भूमि स्वामी तक सीमित रखा, जिन्होंने रिट याचिकाएं दायर की थीं। अन्य शब्दों में, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्देश जारी करते समय स्पष्ट किया था कि इस अनुतोष का प्रदान किया जाना केवल रिट याचिकाकर्ताओं तक ही सीमित है। [शर्त संख्या ३ (ए) एवं 3 (बी) देखे]

40. दूसरा, जहाँ तक दूसरी श्रेणी के भूमि स्वामियों से संबंधित मामले हैं, जिन्होंने अधिग्रहण की कार्यवाहियों को चुनौती नहीं दिया (जैसे कि वर्तमान अपीलकर्ता), उच्च न्यायालय ने उनके मामलों को अलग से निपटाया और तदनुसार निर्देश जारी किये जो आदेश की शर्त संख्या 4 (ए) और 4 (बी) में निहित हैं।

41. शर्त संख्या 4 (ए) और (बी) में उच्च न्यायालय ने प्राधिकरण को स्पष्टतः इस प्रश्न पर निर्णय लेने का निर्देश दिया कि क्या प्राधिकरण शर्त संख्या 3(ए) और (बी) में निहित निर्देशों का लाभ दूसरी श्रेणी के भूमि स्वामियों को भी प्रदान करने के लिए सहमत है अथवा नहीं ।

42. अन्य शब्दों में, उच्च न्यायालय ने स्पष्टतः उन भूमि स्वामियों को कोई भी अनुतोष प्रदान करने से इंकार कर दिया, जिन्होंने रिट याचिकाएं दायर नहीं की थीं और इसकी जगह प्राधिकरण को यह विनिश्चय करने का निर्देश दिया कि क्या वे समान स्थिति के अन्य भूमि स्वामियों को वही अनुतोष प्रदान करने के इच्छुक हैं अथवा नहीं।

43. अतः यह स्पष्ट है कि यह प्राधिकरण के विवेक पर छोड़ दिया गया था कि वह इस प्रश्न का विनिश्चय करे कि क्या वह दूसरी श्रेणी के भूमि स्वामियों तक उपर्युक्त लाभों को विस्तारित करने के इच्छुक हैं अथवा नहीं।

44. तीसरा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्राधिकरण ने निर्देशों के अनुपालन में 64.70% की दर से अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान करने के संबंध में लाभ प्रदान करने का विनिश्चय किया और तदनुसार इसका भुगतान भी किया गया। दूसरी ओर, प्राधिकरण ने ऐसे भूमि स्वामियों को विकसित आबादी भूखंड के आवंटन के संबंध में लाभ प्रदान करने से इंकार कर दिया।

45. चौथा, अभिलेख का विषय होने से यह विवादित नहीं है, कि जब प्राधिकरण अतिरिक्त आबादी भूखण्ड के आवंटन के संबंध में लाभ उन भूमि स्वामियों को भी प्रदान करने में विफल हो गया, जिनके पक्ष में उच्च न्यायालय द्वारा **गजराज** (उपरोक्त) के मामले में और इस न्यायालय द्वारा **सावित्री देवी** (उपरोक्त) के मामले में निर्देश जारी किए गए थे, भूमि स्वामियों ने प्राधिकरण के विरूद्ध इस न्यायालय के निर्देशों का पालन न करने की शिकायत करते हुए अवमानना याचिका दायर की, किंतु इस न्यायालय ने अवमानना याचिका को यह निर्धारित करते हुए खारिज कर दिया कि गैर–अनुपालन का कोई मामला नहीं बनता।

46. हमारे विचार में, अपीलकर्तागण के पास न तो कोई विधिक अधिकार है और न ही अतिरिक्त विकसित आबादी भूखण्ड के आवंटन के अनुतोष का दावा करने का कोई तथ्यात्मक आधार है। इस तरह के अनुतोष का दावा करने के लिए राज्य के विरूद्ध कोई भी परमादेश प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि रिट याचिकाकर्ता उनके विधिक अधिकार का अभिवचन करते हुए उसे साबित करे जो राज्य के विरूद्ध निर्विवादित तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। इसके बाद ही रिट याचिकाकर्ताओं के लाभ के लिए राज्य के विरुद्ध परमादेश जारी किया जा सकता है। वैसा यहां मामला नहीं है।

47. वास्तव में, जब वे भूमि स्वामी, जिनके पक्ष में उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे भूखंड के आवंटन के लिए आदेश पारित किया गया था, भूखंड प्राप्त नहीं कर सके, तब ऐसी स्थिति में अपीलकर्तागण के लिए यहाँ कोई अवसर उत्पन्न नहीं होता कि वे उनके पक्ष में किसी भी तथ्यात्मक और विधिक अधिकार के अभाव में ऐसे अनुतोष का दावा करे।

48. इस बात पर कोई विवाद नहीं कर सकता कि अधिनियम, भूमि स्वामियों को ऐसे अनुतोष प्रदान करने का प्रावधान नहीं करता है। इसी तरह, कोई विवाद नहीं है कि राज्य सभी वैधानिक मुआवजे का भुगतान करता है, जो अधिनियम के अधीन प्रत्येक भूमि स्वामी को भुगतान योग्य है। इतना ही नहीं, प्रत्येक भूमि स्वामी अधिनियम के अधीन भुगतान योग्य राशि के अतिरिक्त 64.70% की दर से अतिरिक्त मुआवजा भी प्राप्त करता है।

49. उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए एवं उक्त मामले के विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों को विचार में रखते हुए **गजराज** (उपरोक्त) के मामले में अनुतोष प्रदान किये गये थे। वे केवल उन भूमि स्वामियों तक ही सीमित थे, जिन्होंने रिट याचिकाएं दायर की थीं। यहां तक कि इस न्यायालय ने भी **सावित्री देवी** (उपरोक्त) के मामले में अभिनिर्धारित किया कि दिए गए निर्देश को भविष्य में अन्य मामलों में अपनाए जाने के लिए पूर्व निर्णय के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और उन्हें केवल उसी मामले तक सीमित माना जाना चाहिए।

50. इसके अलावा, अपीलकर्तागण के लिए ऐसे मामलों में अनुच्छेद 14 में रेखांकित सिद्धांत को प्रयोग में लाने का कोई आधार नहीं है, इसका सरल कारण है कि पहला, अनुच्छेद 14 ऐसे मामलों में लागू नहीं होता; और दूसरा, उन भूमि स्वामी के मामलों के बीच कोई समानता नहीं है, जिन्होंने रिट याचिकाएं दायर कीं और वर्तमान अपीलकर्तागण, जिन्होंने रिट याचिकाएं दायर नहीं की थीं। यद्यपि उच्च न्यायालय ने **गजराज** (उपरोक्त) के मामले में दोनों श्रेणी के भूमि स्वामियों के अधिकारों का विनिश्चय किया, किंतु दोनों के मामले अलग–अलग थे। इन कारणों से, अपीलकर्तागण को **गजराज** (उपरोक्त) के मामले की शर्त संख्या 3 (ए) और (बी) के लाभ लेने का हकदार अभिनिर्धारित नहीं किया गया, जो रिट याचिकाकर्ताओं के लिए थी लेकिन अपीलकर्तागण के लिए नहीं थी। तथापि, अपीलकर्तागण को उक्त निर्णय की केवल शर्त संख्या 4 (ए) और (बी) का लाभ लेने का अधिकारी होना अभिनिर्धारित किया गया और जिसे उन्होंने 64.70% की दर से देय अतिरिक्त मुआवजे को स्वीकार करके लिया था।

51. हमारे विचार में, इसलिए अपीलकर्ताओं सहित सभी भूमि स्वामियों के साथ सारवान न्याय किया गया, जैसा कि **सावित्री देवी** (उपरोक्त) के मामले के पद कमांक 49 में देखा गया है।

52. हमारे मत में, इसलिए, अपीलकर्तागण द्वारा किसी भी अनुतोष के अनुदान हेतु कोई मामला नहीं बनाया गया, जो अतिरिक्त विकसित आबादी भूखण्ड के आवंटन के अनुतोष से बहुत कम है। यदि हम उन्हें

अनुतोष देने के लिए अपीलकर्ताओं के तर्क पर विचार करते है तो यह **सावित्री देवी** (उपरोक्त) के मामले में पारित आदेश के पद कमांक 50 में निहित इस न्यायालय के निर्देशों के विपरीत एक आदेश पारित करना मान्य होगा।

53. पूर्व गामी विमर्श के आलोक में और किसी भी कोण से अपीलकर्ता के मामले का परीक्षण करने पर, हम अपीलों में कोई गुणागुण नहीं पाते हैं, जो विफल हो जाती हैं और तदनुसार खारिज कर दी जाती हैं।

अमित सिंह सिसोदिया